1	2
New Schemes	
1. Replacement of cargo handling equipment	0·50
2. Replacement of floating crafts	0·70
3. Expansion of water treatment plant—Construction of overhead tank and ancillary works	0·10
4. Electrical installation inside port area	0·50
5. Provision of essential amenities for cargo handling workers (housing)	0·20
6. Construction of Residential Quarters for Port employees (A, B, C, D,)	0·20
7. Construction of Roads/Culverts Bridges	0·10
8. Providing health and education centre inside the housing complex for port employees	0·10
9. Fire service station and equipment	0·20
10. Coal handling facilities	3·00
11. Upgrading survey capability for Hydrographic survey capability for Hydrographic survey and dredge control including procurement of survey launch (Customs duty only)	0·25
12. Provision for feasibility studies	0·10
13. Modernisation of computer system	0·50
	6·45
TOTAL:	9·61

फीजी में भारतीय मूल के लोगों की रक्षा

3231. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीजी में भारतीय मूल के लोगों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या इन कदमों का कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल): (क) और (ख) सरकार ने फीजी की स्थिति पर निकट से और सावधानी-पूर्वक निगाह रखी है । फीजी के भारतीय राष्ट्रिकों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं अधिसमय के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है क्योंकि फीजी इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से है । इस तरह भारतीय मूल के फीजी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व फीजी की सरकार पर है । भारत सरकार को भारतीय मूल के फीजी नागरिकों के प्रति होने वाले भेदभाव की चिंता है और उसने इस और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समन्वय समिति का, संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों के प्रति भेदभाव रोकने और उन्हें संरक्षण देने वाले उप-आयोग का तथा राष्ट्रमंडल और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का भी ध्यान आकृष्ट किया है । भारत सरकार ने यूनाइटिड किंगडम, अमरीका, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मारिशस, फिली-

पीन्स, पाकिस्तान, और दक्षिण प्रशान्त के कई राष्ट्रों के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर भी इस प्रश्न को उठाया है । भारत की तरह ही आस्ट्रेलिया, न्यूजीलड, अमरीका और मारिशस की सरकारों ने भी फीजी में लागू किए गए संविधान के जातीय आधार पर भेदभाव करने वाले प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है । भारत सरकार राजनयिक स्तर पर ऐसे आवश्यक प्रयास करती रहेगी जो फीजी में मानवाधिकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए अपेक्षित हो जिसमें वहां के भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकार भी शामिल हैं ।

Memorandum to U.N. Authorities by Kashmiri Migrants

3282. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether, due to Government's failure to protect the lives and property of J&K migrants and also refusal to rehabilitate them, a strong group of Kashmiri migrants have presented memoranda to the UN authorities and US Ambassador in New Delhi seeking their intervention and help for rehabilitation;

(b) if so, what is Government's reaction in this regard; and

(c) the details of the steps contemplated by Government to protect the lives and property of migrants of J&K and also to rehabilitate them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) The Government have seen media reports that a group of about 100 Kashmiri migrants staged demonstration in front of United Nations High Commission for refugees at New Delhi and also in front of the U.S. Embassy, New Delhi to voice protest against continuing terrorism in Kashmir and to highlight the plight of the minorities in Kashmir Valley. They are reported to have demanded U.N. intervention for rescuing the minorities in Kashmir and should slogans.

The Government have taken stringent measures to contain and control terrorism and secessionism in the State of J&K. Every effort is being made to take care of the basic needs of the migrants till they are enabled to go back to the Valley, their economic rehabilitation on a permanent basis outside the Valley is not contemplated.

3283. [*Transferred to the 9th September*, 1990]

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 का चार लेन वाला राजमार्ग बनाया जाना

3284. **श्री छोटू भाई पटेल :**
श्री राजूभाई ए० परमार :
श्री जितेंद्र लाभशंकर भट्ट :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलसाड़ जिले में अधिक यातायात को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 4 लेन वाला राजमार्ग बनाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजमार्ग को किलोमीटर 357/0 से 381/6 तक चार लेन में बदले जाने के विषय को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया था किन्तु बाद में इसे 1990-91 की योजना से निकाल दिया गया था; और

(ग) इसे वार्षिक योजना से बाहर निकाले जाने के क्या कारण थे और सरकार इस राजमार्ग को कब तक 4 लेनों वाला राजमार्ग बनाने का विचार रखती है ?